कार्यालय :–जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी, गढ़वा।

सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड नामकुम, राँची के पत्रांक 255 दिनांक 01/06/2020 के निर्देशानुसार डेंगू एवं चिकनगुनियाँ रोकथाम हेतु वैक्टर सर्विलेंस का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु 06 (छः) Worker को पूर्णतः अस्थायी तौर पर सौ दिनों के लिए रखा जाना है, जिसका दैनीक मजदूरी 285.52 रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से देय होगा। वैसे स्थानीय व्यक्तियों/एन0जी0ओ0 जो कार्य करने हेतु इक्छुक है, वे अपना Bio data कार्य दिवस में सूचना प्रकाशन से एक सप्ताह के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क कर दे सकते है। Worker का चयन छः से अधिक होने पर लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

नियम व शर्ते :–

- वैक्टर सर्विलेंस का कार्य जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी, गढ़वा के निर्देशानुसार करना होगा।
- वैक्टर सर्विलेंस का कार्य करने हेतु अलग से किसी भी प्रकार का राशि देय नही होगा।
- वैक्टर सर्विलेंस का कार्य गढ़वा शहरी क्षेत्र अंतर्गत घर – घर जाकर करना होगा।
- वैक्टर सर्विलेंस कार्य का प्रतिवेदन प्रतिदिन शाम चार बजे तक अपने पर्यवेक्षक को दिये गये प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराना होगा।
- राशि का भुगतान संबंधित खाते में उपस्थिति विवरणी के अनुसार देय होगा।
- विभागीय निर्देशानुसार बिना किसी कारण बताये रद्व करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह0/
जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी,
गढ़वा।

ज्ञापांक 61 गढ़वा, दिनांक 18/06/2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं गढ़वा वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, गढ़वा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गढ़वा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी,
गढ़वा।
19/06/2020

19/6/2020